

**न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर**

(न्याय निर्णयन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 20/2024 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)

GCMS : 2024/9

**अनवान**

1. राज्य सरकार जरिये श्री नरेन्द्रसिंह चौहान, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उदयपुर (राज.)

—प्रार्थी

**बनाम**

1. श्री सुरेश चन्द्र कुमावत पिता श्री रामलाल कुमावत मैसर्स जय भेरुनाथ रेस्टोरेन्ट, 6 शिव कॉलोनी रेबारियों का गुडा पुराना RTO ढीकली रोड प्रतापनगर, उदयपुर। स्थाई पता— 6 शिव कॉलोनी रेबारियों का गुडा पुराना RTO ढीकली रोड प्रतापनगर, उदयपुर।

—विपक्षी

**उपस्थित**

1. श्री नरेन्द्रसिंह चौहान, खाद्य सुरक्षा अधिकारी।
2. स्वयं विपक्षी।

अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, नियम 2011




**●निर्णय●**

दिनांक 24-05-2024

का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2022/दिनांक 02.12.2022 के अनुसरण श्री नरेन्द्रसिंह चौहान, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद में राज्य सरकार है द्वारा उक्त विपक्षी पर सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय करने हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि राज्य सरकार की ओर से वे 18.04.2023 को 12.30 पी.एम. वास्ते चेकिंग मैसर्स जय भेरुनाथ रेस्टोरेन्ट, 6 शिव कॉलोनी रेबारियों का गुडा पुराना RTO ढीकली रोड प्रतापनगर, उदयपुर पर पहुँचा, वहाँ विपक्षी श्री सुरेश चन्द्र कुमावत उपस्थित पाये गये, जिन्होंने स्वयं को मैसर्स जय भेरुनाथ रेस्टोरेन्ट, 6 शिव कॉलोनी रेबारियों का गुडा पुराना RTO ढीकली रोड प्रतापनगर, उदयपुर का विक्रेता होना बताया। विक्रेता से फर्म का अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन मांगा जो उपलब्ध पाया।

निरीक्षण के समय विक्रेता के रेस्टोरेन्ट पर प्लास्टिक के बेग में लगभग 10 किलो मैदा खुला रखा पाया गया, इसमें सबस्टेण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से उक्त मैदे में से 2 किलोग्राम मैदा नमूना जांच हेतु नियमानुसार स्टील की खाली भगोनी में क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी

  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
उदयपुर (राज.)



को फार्म नम्बर V A पर दी। क्रय शुदा मैदा की कीमत विक्रेता के बताये अनुसार 60 रु. रसीद प्राप्त की।

प्रार्थी ने अपने आवेदन में उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा 2 किलोग्राम मैदा विक्रेता तथा गवाहन की उपस्थिति में प्लास्टिक की 4 साफ, सूखे व खाली जारो में बराबर मात्रा में भरकर इनका मुँह ढक्कन से एयरटाईट बंद किया। प्रत्येक जार पर नियमानुसार लेबल चिपकाया व लेबल पर नमूना कोड व क्रमांक, नमूना लेने की दिनांक एवं स्थान, नमूने की किस्म अंकित कर हस्ताक्षर किये एवं विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं नमूना को सील कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लीप नम्बर ए.ए-2209 का एक-एक भाग प्रत्येक नमूनों पर पेंदे से शीर्ष तक चिपका कर सील बंद नमूनों पर खाद्य कारोबारकर्ता के पेपर स्लीप व रेपर पर नियमानुसार क्रॉस हस्ताक्षर कराये एवं नमूने की सील भागो को कब्जे में लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के आउटकवर में सील कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ में फार्म न. 6 की एक प्रति जिस पर नमूना सील अंकित था एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के एक सील बंद भाग को मय फार्म न.6 की प्रतियों के आउटकवर में सील बंदकर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर को जमा कराई व नमूने के चौथे भाग को फार्म न.6 की प्रति के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/5003 दिनांक 29.05.2023 के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर की रिपोर्ट न. एलएस/313/एक्ट/2023/313 दिनांक 01.05.2023 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उक्त नमूना मैदा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx)के तहत सबस्टैण्डर्ड पायी गई क्योंकि Alcoholic Acidity (with 90% Alcohol ) expressed as H<sub>2</sub> SO<sub>4</sub>( on dry weight basis ) 0.12% max. होना चाहिए था, कि जगह 0.36% पाया गया। अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/5004 दिनांक 29.05.2023 के द्वारा विक्रेता को धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरुद्ध अपील हेतु रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूनों की पत्रावली अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर के पत्र क्रमांक मु.चि.अ./एफ.एस.एस.ए./2024/209 दिनांक 08.01.2024 द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस को न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

कार्मिक (क-4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/ क-4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार हैं, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर (राज.)



अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनका टर्नओवर 12 लाख रुपये वार्षिक से अधिक है।


उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना प्रदान किया जाकर अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। सुनवाई हेतु नियत तिथि को आरोपी ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रकरण को स्वीकार कर प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया।

प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थों का निर्माण/विक्रय करने से भारी से भारी जुर्माना से दण्डित किया जाने का निवेदन किया। विपक्षी द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि वह मैदा बाहर दूकान से खरीदकर उससे खाद्य सामग्री निर्माण का विक्रय करता है, मैदा की गुणवत्ता हेतु विक्रेता/विपक्षी की उत्तरदायी नहीं है। प्रकरण में कम से कम जुर्माने से दण्डित किया जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी के जवाब पर मनन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण पर विक्रेता के रेस्टोरेन्ट पर प्लास्टिक के बेग में लगभग 10 किलो मैदा खुला रखा पाया गया, इसमें सबस्टैण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से उक्त मैदे में से 2 किलोग्राम मैदा नमूना जांच हेतु नियमानुसार स्टील की खाली भगोनी में क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर V A पर दी। नियमानुसार सीलबंद कर जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते विश्लेषण प्रेषित किया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट अनुसार नमूना मैदा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx)के तहत सबस्टैण्डर्ड पायी गई क्योंकि **Alcoholic Acidity (with 90% Alcohol ) expressed as H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>(on dry weight basis ) 0.12% max.** होना चाहिए था, कि जगह **0.36%** पाया गया। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से की गई समस्त कार्यवाही नियमानुसार पाई जाती है। समग्र तथ्यों पर विवेचन उपरान्त उक्त खाद्य नमूना सबस्टैण्डर्ड होना स्पष्ट जाहिर हैं।

मामले में यह भी कहना उचित होगा कि कोई भी उपभोक्ता उसके स्वास्थ्य लाभ के लिये विश्वास के आधार पर खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता से खाद्य उत्पाद को क्रय कर उसका सेवन/उपयोग करता है एवं प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता का यह दायित्व है कि वह ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुये खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं दिशा निर्देशों की पूर्णतया पालना करे। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 में सबस्टैण्डर्ड के मामलों में अधिकतम राशि 5,00,000/- शास्ति का प्रावधान अंकित हैं। उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए एवं मामले की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण को अधिकाधिक शास्ति के दण्ड से दंडित किये जाने योग्य है।

प्रकरण में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx)के तहत सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय व उपयोग करके विपक्षी आरोपी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका

  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
उदयपुर (राज.)

जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध कारित होने से आरोपी को कुल राशि ₹ 25000/-रु अक्षरे रूपया पच्चीस हजार मात्र के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य मे सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थों का उपयोग/विक्रय न करें। विपक्षी आरोपी जुर्माना राशि "न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर" के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से एक माह मे आवश्यक रूप से जमा करावें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



( दीपेन्द्र सिंह राठौर ) एवं  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,  
उदयपुर (राज.)